



जोधपुर नगर निगम, जोधपुर

राज्यीय स्तरीय कॉलेज परिसर के आन्तर, गौरीच पथ, जोधपुर



दिनांक-08/09/2020

I.B.T.(B)-28 / 2020-21

क्रमांक-6440

श्री कल्याण सिंह शाही पुत्र श्री नारायण सिंह शाही
शुल्क नं. 111, मन्थिया रोड नं. 7 विहार गोलाना
पु. गौरीच पथ, जोधपुर।

::- भवन निर्माण आदेश :-

विषय - आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।
प्रमाण - आपका आवेदन पत्र दिनांक 06.11.2019।

उपरोक्त विषयवर्तित एवं प्रस्तावित गठित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 11.02.2020 के प्रस्ताव संख्या 13 के अन्तर्गत अनुसंधित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है -

1. बालकनी व छतों का निर्माण नहीं करेंगे।
2. पड़ोसी की विडिंग लाईन को गंवाह रखेंगे।
3. मानचित्र एवं पट्टे में यदि बदलाव दर्शाती गई है तो उसे खुली रखेंगे।
4. खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेंगे।
5. स्वामित्व के शक में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
6. वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
7. भविष्य में बकाया राशि निकालने पर जमा करवाने को बाध्य रहेंगे।
8. भवन में नियमानुसार अग्नि शमन मुखा व्यवस्था करनी होगी।
9. दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण / उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृती शून्य मानी जाएगी।
10. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।

स्वीकृति का प्रकार	आवासीय निर्माण
अनुमत निर्माण	2+जी+2 C.A.W. -
कुल क्षेत्रफल	400.00 वर्गगज
रीटवेक	अग्र - 20' (जिसमें से 10' सड़क सीमा में सम्पन्न) पार्श्व - 10' पीछे - 5'

11. निर्माण स्थल पर 4'x4' के बॉर्डे पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण साजगानी पूर्ण करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा विडिंग मटेरियल सड़क पर नहीं डाला जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/विडिंग मटेरियल भू-स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पर्याप्त पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।

13. भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के मूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

14. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्मित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेंगे।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 1,000/- - जांच शुल्क- 3,246/- - भवन निर्माण शुल्क- 3,500/- - बी.एस.यू.पी. शुल्क- 5,367/- - मलबा शुल्क- 1,000/- - विकास एवं संधारण शुल्क- 25,666/- - भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 8,064/- - उपकर- 5,03,772/- - कुल राशि- 5,51,705/- - जरिये रसीद संख्या 9069/9384 दिनांक 28.07.2020, सुरक्षा एवं अमानत राशि- 3,000/- - जरिये रसीद संख्या 9069/9385 दिनांक 28.07.2020, पार्कजल संग्रहण शुल्क- 50,000/- - जरिये रसीद संख्या 9069/9386 दिनांक 28.07.2020 रिक्त मूखण्ड की शरित- 84,480/- - जरिये रसीद संख्या 9069/9377 दिनांक 28.07.2020, यूडी कर- 92,612/- - जरिये रसीद संख्या 9069/283 दिनांक 05.08.2020 एवं गृह कर - 400/- - जरिये रसीद संख्या 9069/9400 दिनांक 28.07.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही आपकी आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरित निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध साजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी। भवन निर्माण के पर्याप्त मलबा सड़क पर पाया गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- - (अधारे दस हजार रुपये) यशूल किये जावेंगे।

16/09/2020